



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16062022-236649
CG-DL-E-16062022-236649

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2635]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 16, 2022/ज्येष्ठ 26, 1944

No. 2635]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 16, 2022/JYAISHTHA 26, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जून, 2022

का.आ. 2768(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि आंध्रप्रदेश राज्य के विशाखपट्टनम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 16 के 681.000 कि.मी से 731.600 कि.मी (आनंदपुरम – अनकापल्ली सेक्शन) और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 516C के 0.000 कि.मी से 13.600 कि.मी (सब्बवरम से शीलनगर जंक्शन) तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ;

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबुद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा ;

ऐसा प्रयोक्त आक्षेप प्राधिकारी, अर्थात् स्पेशल डेप्यूटी कलेक्टर (एल.ए), NH-16, विशाखपट्टनम को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधी व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच

करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझो, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा:

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा ;

इस अधिसूचना के अंतर्गत आनेवाली भूमि के भूरेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबुद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

आंध्रप्रदेश राज्य के विशाखपट्टनम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 16 के 681.000 कि.मी से 731.600 कि.मी तक (आनंदपुरम – अनकापल्ली सेक्शन) और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 516C 0.000 कि.मी से 13.600 कि.मी (सबबवरम से शीलनगर जंक्शन तक) अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण.

राज्य का नाम: आंध्र प्रदेश			जिले का नाम: विशाखापट्टनम		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: गजुवाका					
गांव का नाम: तुंगलाम					
1	119	अन्य	खेती	2,567.9610000(वर्ग मीटर)	0.2567960
गांव का नाम: वेंकटपति राजपेटा					
1	10	अन्य	खेती	7,921.4866500(वर्ग मीटर)	0.7921490
2	11	अन्य	खेती	3,243.3445000(वर्ग मीटर)	0.3243340
3	9	निजी	खेती	7,028.3900000(वर्ग मीटर)	0.7028390
कुल				20,761.1822	2.0761

[फा. सं. NHAI/11013/LA-3(a)/PIU-Vizag/2016/3A]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th June, 2022

S.O. 2768 (E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening / four- lining, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 16, in the stretch of land from Km. 681.000 to Km.731.600 (Anandapuram – Anakapalli Section) and from Km.0.000 to Km.13.600 (Sabbavaram to Sheelanagar) of NH-516C in the district of Visakhapatnam in the State of Andhra Pradesh hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, the **Special Deputy Collector (LA), NH-16, Visakhapatnam** in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure falling within the stretch of land from Km.681.000 to Km.731.600 (Anandapuram - Anakapalli Section) of NH16 and from Km.0.000 to Km.13.600 (Sabbavaram to Sheelanagar) of the National Highway No.516C in the State of Andhra Pradesh

State: ANDHRA PRADESH			District: VISAKHAPATANAM		
S. No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Gajuwaka					
Village: Tungalam					
1	119	Common	Dry	2,567.9610000(Square Meter)	0.2567960
Village: Venkatapati Rajupeta					
1	10	Common	Dry	7,921.4866500(Square Meter)	0.7921490
2	11	Common	Dry	3,243.3445000(Square Meter)	0.3243340
3	9	Private	Dry	7,028.3900000(Square Meter)	0.7028390
Total				20,761.1822	2.0761

[F. No. NHAI/11013/LA-3(a)/PIU-Vizag/2016/3A]

RAJESH GUPTA, Director